Title: Raised a protest on the introduction of Bihar Reorganisation Bill.

MR. SPEAKER: Now, Shri Mulayam Singh Yadav to speak.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not provoke him.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, नियम ७२ के अनुसार मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी जब बिल आता है तो माननीय सदस्य उस संबंध में बिल आने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं कि बिल पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नियमानुसार माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बसुदेव आचार्य जी और माननीय अजित मेहता जी आदि कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए नियम ७२ के अनुसार विरोध की सूचना पहले दे दी गई है लेकिन उनको नहीं सुना गया, वनांचल के बारे में उनको नहीं सुना गया। उसके बाद जब सदन अव्यवस्थित था, नियम का विरोध यह हुआ कि परम्पराओं को बिल्कुल खत्म किया गया। इस मनमाने तरीके से सदन नहीं चलता। आपका पूरा सम्मान रखते हुए, यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, चेयर भी नियम के अनुसार बनी हुई है और संसद हमारे देश की सारी विधान सभाओं का आदर्श है। अगर संसद के अंदर नियमों का उल्लंधन करके बिल पेश किए जाएंगे और ि वरोध नहीं सुना जाएगा, पूरा सदन अव्यवस्थित है तथा उसके बाद भी बिल पेश किया गया जिसके बारे में सच्चाई से कोई भी स्वीकार कर ले कि किसी ने सुना नहीं है तो हमारा निवेदन है कि आज का वनांचल बिल जो पेश किया गया है और किसी ने सुना नहीं है, वह नियम के विरुद्ध है। अगर उसे कार्रवाई में लिखा गया है और नियमों का उल्लंघन किया गया है तो लोक सभा की मर्यादा रखने के लिए आपसे निवेदन है कि वनांचल बिल पेश नहीं हुआ है, उसको अगर कार्रवाई में लिखा गया है तो यह देश के लोक तंत्र के खिलाफ होगा। यह लोक तंत्र के खिलाफ ही नहीं, संसद के सामने सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए अगर वनांचल बिल को कार्रवाई में लिखा गया है तो उसे कार्रवाई से निकाला जाए, यह हमारी मांग है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने दस बजे से पहले ही अपना नोटिस दे दिया था। बिहार राज्य पुनर्गठन बिल का विरोध करने के लिए हम खड़े हुए थे।

... (व्यवधान)

हम इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे लेकिन आपने हमें मौका नहीं दिया। हम इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए थे क्योंकि हम नहीं चाहते है कि बिहार का विभाजन हो जाए। जो बिल बिहार विधान सभा में पारित नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हो गया है।

बसुदेव आयार्य जारी बिहार विधान सभा ने प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया है। बिहार की जनता बिहार का विभाजन नहीं चाहती है। कल मीटिंग में हम लोगों को कहा गया था कि सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और विचार करने के बाद ही संसद में बिल को लायेगी, लेकिन मंत्री महोदय ने प्रैस के सामने हाजिर होकर कहा कि कल ही हम बिल लेकर आयेंगे। हम लोगों को कहा गया कि विचार करेंगे, लेकिन तुरन्त बाद प्रैस के सामने बयान दे दिया कि सरकार कल ही लोकसभा में बिल को लेकर आयेगी। क्या सरकार इस तरह से सदन को चलाना चाहती है?

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, I have called Shri Raghuvansh Prasad Singh.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please sit down.
... (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : तमाम विरोधी दल के नेताओं के सामने आश्वासन दिया। हमने यह सुझाव दिया था कि किसी भी बिल को जबरदस्ती नहीं लाइए, हम लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा नहीं की और बिल सदन में लेकर आए तथा हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया। जिस बिल को बिहार विधान सभा ने रिजैक्ट किया, उसके बावजूद यह बिल इन्ट्रोडयूस हुआ, जो इर्रेग्युलर हुआ है। सदन का अपमान किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे वापिस ले। यह हमारी मांग है।

... (व्यवधान)

आप उत्तर प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं। उधमसिंह नगर के बारे में सवाल पैदा हुआ है। इस बारे में समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions) *

MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) *

---

* Not Recorded.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, नियम ७२ के अधीन मैंने भी आइटम नं. २५ - बिहार पुनर्गठन विधेयक, १९९८ - का विरोध करने के लिए सूचना दी थी। कल हमने इस आधार पर इसका घोर विरोध किया कि बिहार विधान सभा ने इस विधेयक के विरोध में अपनी राय दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की सहमति दी है। बिहार पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधान सभा ने खारिज कर दिया है। इसलिए सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे वहां की जनता में आन्दोलन हो जाए और उपद्रव हो जाए। संसद तथा केन्द्रीय सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

महोदय, आर्टिकल - ३ में प्रावधान है, यदि केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य की सीमा का पुनर्गठन करना चाहती है, तो उसे राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए और फिर राष्ट्रपति महोदय विधान सभा से राय लेंगे। उस राय को विधान सभा ने नामंजूर किया, प्रस्ताव को रिजैक्ट किया है। इस स्थिति में यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है, बिहार की जनता की राय के विरुद्ध है। इसीलिए जब आपकी अध्यक्षता में सभी पार्टियों की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, उसमें हम लोगों ने उसका प्रतिवाद किया, प्रोटैक्ट किया। कल यह जब सवाल रखा गया था, तो सरकार ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन चार बजे ही खुराना जी ने प्रैस कान्फ्रेंस करके कह दिया कि हम कल ही इस विधेयक को लायेंगे।

रघुवंश जारी इससे ऐसा लगा कि सरकार वचन भंग कर रही हैं और हमारे मेम्बर्स उत्तेजित हो गए। इसी कारण से हम वहां आए और हमने प्रतिवाद किया।

महोदय, यह सदन सर्वोपरि है और इसकी मर्यादा भी सर्वोपरि है। इसकी मर्यादा कायम करने में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार कोई ऐसा काम न करे,

... (व्यवधान)

जिससे सदन की मर्यादा भंग हो। ... (व्यवधान) कल सदन कोई विधेयक लाए,

... (व्यवधान)

सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष के सदस्यों की भी होती है लेकिन इस सरकार ने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया।

... (व्यवधान)

इसलिए हम आखिर में आसन पर छोड़ते हैं।

... (व्यवधान)

आसन के, सदन के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए।

... (व्यवधान)

अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसका हम प्रतिवाद करेंगे। उस गलत काम में । इसलिए हमारा यह कहना है कि आइटम नम्बर २१ और २२ मूव नहीं हुआ है। आइटम नम्बर २३ में कुमारी ममता जी को नहीं पुकारा गया है, आइटम नम्बर २४ में एक विधेयक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी का नाम नहीं पुकारा गया है और आइटम नम्बर २५ कैसे हो गया? इसलिए हमें आशंका है कि यह अभी हुआ नहीं है, इस पर सफाई होनी चाहिए. लोग कहते हैं कि वनांचल विधेयक 'ले' हो गया तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सदन की परम्परा को, आसन के सम्मान को, नियम-कायदे को और बिहार की जन-आकांक्षाओं की रक्षा के लिए, कि बिहार जले नहीं, बिहार को जलने से बचाने के लिए इसे अस्वीकार किया जाए और आइटम नम्बर २५ को 'ले' किया हुआ न माना जाए, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इससे बड़ा भारी जन-आंदोलन होगा। इस पर नियमन दिया जाए कि आइटम नम्बर २१,२२ और २३ कैसे हो गया?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Speaker, Sir, I oppose the introduction of the Bihar Reorganisation Bill on legislative competence. There is a specific provision in the Constitution and as per that provision, the President has referred the matter to the Bihar Legislative Assembly and the Bihar Legislative Assembly has rejected the reference of the President. They are not in favour of separating or bifurcating the

existing Bihar State. So, this is a clear violation of the constitutional provision. Moreover, I am opposed to all bifurcation of States, because it will lead to so many difficulties. It will open a Pandora's box, it will create so many difficulties and the country will be in chaos if we go on like this. (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस भी दे रहे हैं और गड़बड़ी भी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे।

... (व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : So, I vehemently oppose the introduction of this Bill on the ground of legislative competence of this House.

... (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय, आपको सदस्यों की बात को भी सुनना चाहिए, हम भी बड़े परेशान है। मेरा निवेदन है, मुझे यहां रघुवंश प्रसाद जी पर दो आपत्तियां हैं। इन्होंने एक तो आसन पर आरोप लगाया, यह कार्यवाही में देखना चाहिए.

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जब सवाल जवाब मंजूर कर दिए तो हम लोग भी तैयार हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : महोदय, मैं औचित्य के सवाल पर बोल रहा हूं.

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is your submission?
... (Interruptions)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आसन की मर्यादा हम इनसे सीखें।. ... (व्यवधान) नोटिस वाले लोग बहुत हैं, ये कैसे खड़े हो जाते हैं, इनको कैसे इजाजत मिल जाती है.

... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : महोदय, यह मेरा आक्षेप आपके माध्यम से है। यह पीठासीन अधिकारी भी हैं और इस तरह से यहां पर व्यवहार करते हैं। मेरा औचित्य का स वाल है, क्या जब बिल इंट्रोडयूस करने के लिए ग़ृह मंत्री जी खड़े हुए थे तो कौन सी नियमावली के अंतर्गत इन्होंने यहां शोर मचाया, वैल में गए और पार्लियामेंट का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया, इस पर हमें बाहर जाकर शर्म आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस । को रोकना चाहिए।

... (व्यवधान)

द्वारा जारी श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, घोर अव्यवस्था की स्थिति में बिल पास करा लीजिए और कहिये कि सदन की मर्यादा भंग होती है, यह सब तानाशाही हो रही है। ... (व्यवधान) इनके पक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं,

... (व्यवधान)

पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं

... (व्यवधान)

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में स्थापित नियमों की अवेहलना कर एक नयी परम्परा की शुरूआत की जा रही है। विपक्ष अगर किसी चीज के विरोध में आपको नोटिस भी दे तो उस नोटिस को अनसुना कर दिया जाता है और जब हम डिवीजन के लिए चैलेंज करें, तो उसको भी अनसुना कर दिया जाए और उसको अनसुना करके सरकार एक्सट्रीम रोल

... (व्यवधान)

और मैजोरिटी के लोग सारे विरोध के स्वरों को दबा दें। अगर यही करना है तो जो भी नियम इस सदन ने बनाए हैं वे सारे व्यर्थ हो जाते हैं और सदन फिर फ्री फॉर ऑल हो जाता है।

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, you have not given a notice. Your name is not there.
... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, बिल के बारे में यह जो कहा गया है कि विरोध करने के लिए उन्होंने नोटिस दिए थे।
... (व्यवधान)

प्रो. अजित कुमार मेहता : अगर व्यवस्था को बनाए रखना है तो इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था के अनुसार चलेगा तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और फिर जिसके मन में जो आएगा वह करेगा।

श्री मदन लाल खुरानाः अध्यक्ष जी, तीन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। एक में कहा है कि बिल के बारे में जो इन्होंने विरोध करने के लिए नोटिस दिए थे उनको नहीं सुना गया। अध्यक्ष जी, नोटिस सुने तब जाते हैं जब हाउस आर्डर में हो और हाउस को आर्डर में न रखने

... (व्यवधान)

15.17 hrs. (At this stage Shri Surendra Prasad Yadav and some other Hon. Members came and stood near the Table)
MR. SPEAKER: Again you are adopting the same `procedure'.
... (Interruptions)

श्री मदन लाल खुरानाः अभी-अभी आपने हाउस को चलाने के बारे में बात कही थी। ... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What is this? You were talking of decorum in the House and you are doing the same thing now.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This is your behaviour in the House.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)*
MR. SPEAKER: Please go back to your seats.
... (Interruptions)
---
* Not Recorded.

... (Interruptions)
MR. SPEAKER: If the House agrees, the Matters under Rule 377 may be treated as laid on the Table of the House.
SEVERAL HON. MEMBEERS: Yes.
MR. SPEAKER: Now, Shri Ram Naik.